5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर , जिला ग्वालियर म0 प्र0

निगरानी प्रकरण क्र0 निगरानी 1123-I-15

1. सुखनंदी बल्द मंगली जैन
2. सन्तोष बल्द मंगली जैन
3. उत्तम बल्द मंगली जैन
4. सनत जैन बल्द मंगलो जैन

समस्त निवासीयान जतारा ---निगराकार गण ।

बनाम

1. श्री पाल बल्द दयाचंद जैन
2. शासन म0प्र0 द्वारा पटवारी जतारा

--- अनावेदक गण

क्रमांक 5351
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक .... को प्राप्त
8.5.15
रजिस्ट्रार कोर्ट
राजस्व म... ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0भू0 रा0 संहिता

प्रस्तुत निगरानी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जतारा के प्रकरण क्रमांक 51/अ-62/ 2014-15 आदेश दिनांक 30.3.2015 से व्यथित होकर समक्ष श्री मान् के प्रस्तुत है ।

महोदय,

निगरानी निम्नानुसार है -

(1) यहकि भूमि स्थित जतारा खसरा क्रमांक 1963/2, 1970/2 ख , 1964, 1966 /3, 2796, क्रमशः रकवा 0.210, 0.115 हे0 का सीमांकन प्रतिनिगराकार क्र0 1 के द्वारा कराया गया जिसमें जरीब खींचकर [illegible] सीमांकन कर मौके पर प्रति-निगराकार की भूमि को प्रभावित किया गया जबकि निगराकार एवं प्रति निगराकार करीब 25-30 वर्षो से [illegible] अलग अलग है । एवं मौके पर आपसी बटवारा कर अपने हिस्से पर काबिज है जिसमें माननीय व्यवहार न्यायालय जतारा के द्वारा उपरोक्त सीमांकन एवं रकवा / मौका कब्जा इत्यादि पर एक निर्णय दिया जा चुका है जिस पर ... तरीके से ... पूर्वक तरीके से सीमांकन कराया गया जो

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1123–एक / 15 **जिला** –टीकमगढ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभषक आदि के हस्ताक्षर
3.02.16	आवेदक के अधिवक्ता एवं आवेदक कोई उपस्थित नहीं । वह लगभग 5 पेशियों से अनुपस्थित रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक को प्रकरण में आगे चलाने की कोई रूचि नहीं है। समय समय पर आवाज लगवाई गई उसके बाद भी कोई उपस्थित नहीं हुआ । अतः प्रकरण में रूचि नहीं होने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । पक्षकार सूचित हों । राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे। सदस्य	